

मध्यप्रदेश विधान सभा



नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 9, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-5 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चौतीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन सन् 2016-2017 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं -

1. क्रमांक एफ 2-17-2017-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-27, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
2. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-32, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
3. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-34, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
4. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-42, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
5. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-41, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
6. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-22, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
7. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
8. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-07 दिनांक 14 जुलाई, 2017,
9. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
10. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-31 दिनांक 14 जुलाई, 2017,
11. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-40, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
12. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-29, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
13. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-39, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
14. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-7, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
15. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-32, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
16. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-33, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
17. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-2, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
18. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-18, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
19. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-13, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
20. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 29 जुलाई, 2017,
21. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-1, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,
22. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-34, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,
23. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-35, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,

24. क्रमांक एफ 2-22-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-23, दिनांक 20 सितम्बर, 2017,
25. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-02, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
26. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-42, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
27. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-20, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
28. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-38, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
29. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-05, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
30. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-43, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
31. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-1, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
32. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-43, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
33. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-20, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन -

(क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार श्री आर.के.जैन, उपायुक्त वाणिज्यिक कर की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु बाबत गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 30 अप्रैल, 2009,

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015), तथा

(ग) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2014-2015, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के चौरई एवं बिछुआ विकासखण्डों में कृषकों के विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के गंजबासौदा विकास खण्ड अंतर्गत नल-जल योजनाएं ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह, अजय सिंह, सदस्य, रीवा के कोठी कम्पाउण्ड में कोर्ट भवन न बनाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले की जनपद पंचायत कैलारस में मनरेगा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि -

“सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.”.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पैंतालीसवां से एक सौ तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां एवं चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का छत्तीसवां एवं सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के वृन्दावन वार्ड में टीकाराम सैनी के मकान से गौतम जी के मकान तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के नागझिरी में पवन ऊर्जा/सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित किये जाने,

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पिपारिया कलां के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम मुन्डरई खुर्द से ग्राम कुड़ो पिपारिया को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़े जाने,

(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खडीत व कनेरा के पास चंबल नदी को क्वारी नदी से जोड़े जाने,

(6) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम वागुर्दन से सेमाहा व जौरा ग्रामों में गिट्टी-मुरम की सड़क बनाये जाने,

(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम नहरावली से दूधाधारी मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(8) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम ममरहा (प्रथम) के “धरती माता” में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम लपटी के भैसहा नाले पर पुलिया/रपटा निर्माण किये जाने,

- (10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के शंकराचार्य वार्ड में राजेश बर्डिया के मकान से गोपाल सेन के मकान तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (11) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम बैलारी से अरनियामाली तक डामरीकृत सड़क निर्माण किये जाने,
 - (12) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायतों अमा, रगौली सहित अन्य में पुलिया एवं डब्लू. बी.एम. रोड निर्माण किये जाने,
 - (13) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सीतानगर से इमलीजोग तक मार्ग स्वीकृत किये जाने,
 - (14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के जमुनहाई नाला पर स्टाप-डेम स्वीकृत किये जाने,
 - (15) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम तलेन सारंगपुर से ग्राम निशाना तक प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत मार्ग एवं पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (16) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सेवड़ी के शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (17) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम इकलेरा में मुख्यमंत्री योजनान्तर्गत हाट बाजार में व्यापार संचालन हेतु स्थाई संरचना निर्मित किये जाने,
 - (18) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम देरी से भानपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (19) श्री जितेन्द्र गोहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के तहसील बड़ावदा में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु सीनियर ब्लाक छात्रावास खोले जाने,
 - (20) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम मानपुर में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किये जाने,
 - (21) श्री घनश्याम पिरौनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सरसई सालोन बी सहित अन्य स्थानों में कांजी हाऊस बनाये जाने,
 - (22) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिला के ग्राम खामखेड़ा से प्यासी तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (23) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम तालपिपरिया से घाघरतलाई नागदेव चौक तक रोड निर्माण किये जाने,
 - (24) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले में ब्यावरा के पीपल चौराहे से राजगढ़ बायपास तक सीसीकरण, डिवाईडर निर्माण एवं पोल शिफ्टिंग कार्य कराये जाने,
 - (25) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पंचायत मुराछ को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाये जाने,
 - (26) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रकेरा में आसन नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
 - (27) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम सुखाही से सरेखा तथा भादा से चंदिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (28) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम खकरेड़ी से बरेली तक पक्का मार्ग बनाये जाने,
 - (29) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत हर्दी महाडारी कुटी मंदिर से पाती मोड़ तक एवं खामडीह मोड़ से भैरव बाबा तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (30) श्री संजय उडके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम जैरासी से मण्डई मार्ग में जमुनिया नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
 - (31) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चन्द्रपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (32) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के जवा-डभौरा मार्ग से कर्मा-महिलो तक मार्ग का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किये जाने,
 - (33) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम कानाखेड़ी मार्ग में नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
 - (34) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम गसवानी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
 - (35) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम भाठी मुरैठा से मझिगवां तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
 - (36) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम नहारगढ़ के कन्या हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण किये जाने,
 - (37) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पिंडरई से ग्राम फरेदा एवं ग्राम टिकारी से ग्राम भोगाखेड़ा मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (38) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम सन्नोड में विद्युत ग्रिड बनाये जाने,
 - (39) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम पिपल्याखेड़ा में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत हाट बाजार हेतु स्थाई संरचना निर्मित किये जाने,
 - (40) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम ढिल्ला, कुडार, धमना सहित अन्य ग्रामों के हाई स्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (41) श्री चैतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के आमला पुलिस चौकी से ग्राम घौसरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण किये जाने,
 - (42) श्री नथन शाह कवरेती, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम खैरमण्डल में कन्हान नदी पर बड़ा पुल निर्माण किये जाने,
 - (43) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर में मॉडल हायर सेकेण्ड्री स्कूल से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाये जाने, बिजली लगाये जाने एवं स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने,
 - (44) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पहरखा के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 7 मार्च, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 147 (क्रमांक 4366) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.
- (5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (6) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (8) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित
समय

2 घण्टे

8. वर्ष 2017-2018 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60 तथा 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पन्द्रह हजार पांच सौ पचास करोड़, सोलह लाख, तिरसठ हजार, नौ सौ तैंतीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

अल्प वर्षों से फसलों के नष्ट होने, कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य न मिलने, कृषि मजदूरों के पलायन आदि के कारण कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, फुन्देलाल सिंह मार्को, आरिफ अकील, बाला बच्चन, सुखेन्द्र सिंह, जितू पटवारी, के.डी. देशमुख, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 29 नवम्बर, 2017

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.